

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्र. क्र. 278 / 2004
संस्थित दि. : 31 / 03 / 04

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

टीकमदास पनका पिता डंडडुदास पनका, उम्र 43 साल,
साकिन मोहगांव नगरपालिका के पास थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 09/07/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 26-27/02/04 को रात्रि के 11:00 बजे से लेकर प्रातः के 05:00 बजे के मध्य, ग्राम टिनसाटोला थाना मलाजखण्ड प्रार्थी ढलगुसिंह के आधिपत्य का कोठा जो कि मावेशी की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में सूर्यास्त-सूर्योदय के पूर्व अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न कारित किया व फरियादी ढलगुसिंह के आधिपत्य के कौठे के अंदर से बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से उसके आधिपत्य के एक लाल रंग एवं एक सफेद रंग के बैल कीमती 9000/- को हटाकर चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ढलगुसिंह ने दिनांक 28.02.2004 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम टिनसाटोला में रहता है। वह कास्तकारी का काम करता है। गुरुवार की रात को उसने उसकी मावेशी कोठे में बांधी थी। सुबह उठकर देखा तो उसका एक लाल रंग का एवं एक सफेद रंग का बैल कोठे में नहीं थे। आसपास तालाश की उसके बैल नहीं मिले। उसके बैल की कीमत करीब 9000/-रूपये थी। कोई अज्ञात व्यक्ति रस्सी खोलकर कोठे से एक सफेद रंग के एवं एक लाल रंग के बैल चोरी कर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में 26/4 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से बैल जप्त कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 26-27 / 02 / 04 को रात्रि के 11:00 बजे से लेकर प्रातः के 05:00 बजे के मध्य, ग्राम टिनसाटोला थाना मलाजखण्ड फरियादी ढलगुसिंह के आधिपत्य का कोठा जो कि मावेशी की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में सूर्यास्त-सूर्योदय के पूर्व अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न कारित किया ?

(ब) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी ढलगुसिंह के आधिपत्य के कोठे के अंदर से बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से उसके आधिपत्य के एक जोड़ी बैल कीमती 9000 / - को हटाकर चोरी कारित की ?

- :: सकारण निष्कर्ष :: -

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सखाराम (अ.सा.08) का कहना है कि दिनांक 28.02.2004 को ढलगुसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 26 / 4 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. के अन्तर्गत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया था जो प्रदर्श पी-1 है। ढलगुसिंह की निशादेही पर दिनांक 01.03.2004 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। बैलो को ढलगुसिंह को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया। उक्त सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-3 है। आरोपी टीकमदास से एक बैल सफेद सींग का और एक नीले रंग का जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया था। आरोपी टीकमदास से दिनांक 01.03.2004 को गवाह कपूरचंद और सखाराम के सामने चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने ढलगुसिंह के कोठे के अंदर से दिनांक 29.02.2004 को एक जोड़ी चोरी करने के संबंध में बताया था। उसने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। आरोपी टीकमदास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 बनाया था। साक्षी ढलगुसिंह, अन्धु, सुखराम, सखाराम, कपूरचंद, दिलीप, खेतूदास के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सखाराम (अ.सा.08) के कथनों का समर्थन करते हुए फरियादी ढलगुसिंह (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के तीन माह पुरानी टिनसाटोला रात के लगभग 12:00 बजे के बाद की है। उसने रात्रि में उसके कोठे में बैल बांधे थे। सुबह उठकर देखा तो उसका एक लाल रंग का और एक भूरा रंग का बैल नहीं था। कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। बैलों

की कीमत 9000/-के आसपास थी। बैलों को उसने आसपास तलाश किया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी-2 है।

(09) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी अन्धु (अ.सा.02), का भी कहना है कि फरियादी ढलगुसिंह ने उसे बताया था कि उसके एक जोड़ी बैल टिनसाटोला उसके मकान से चोरी हो गये थे। वह बोदा में बस से उतरा तो कोटवार के मकान के पास ढलगुसिंह के बैल उसे दिखाई दिये। बैल ले जाने वाले व्यक्ति से उसने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम टीमकचंद बताया था और बैल मोहगांव बाजार से खरीदकर लाना बताया था। बैल खरीदने की रसीद की मांग की तो उसने रसीद नहीं बताई। उसने ढलगुसिंह को बताया तो उसने उसके बैलों को पहचान लिया था।

(10) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते अभियोजन साक्षी सुखराम (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के पांच सात माह पुरानी रात की है। ढलगुसिंह ने उसे बताया था कि रात में उसके बैल चोरी हो गये। उसके बाद में अन्धु से पता चला था कि बोदा के कोटवार के यहां दो बैल बंधे हुए हैं। वस्ती के लोग एवं ढलगुसिंह के साथ वहां जाकर देखा तो बैलो को ढलगुसिंह ने पहचान लिया था। बैलों के पास टीकमदास था। टीकमदास पकड़कर थाने में लाये थे और रिपोर्ट लिखाई।

(11) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते अभियोजन साक्षी सखाराम (अ.सा.04) का भी कहना है घटना उसके कथन के पांच-सात माह पुरानी है। ढलगुसिंह के कोठे से एक जोड़ी बैल चोरी हो गये थे। बाद में पता चला कि बोदा में कोटवार के यहां दो बैल हैं। जाकर देखा तो कोटवार के यहां दो बैल बंधे थे। बोदा में सुखराम के भंजे को आरोपी मिला था। उसने बताया था कि बैल मण्डई से खरीदकर लाया उसने रसीद मांगी तो उसने रसीद नहीं बताई। उसने ढलगुसिंह को बताया था। टीकमदास को गांव वालों ने पकड़कर रखा था। टीकमदास को लेकर टिनसाटोला आये थे और रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने टीकमदास से दोनों बैल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। ढलगुसिंह को थाने से बैल वापस सुपुर्दगी पर दिये थे। प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(12) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी कपूरचंद (अ.सा.05) का कहना है कि घटना पांच-सात माह पुरानी रात्रि की है। ढलगुसिंह के मकान से दो बैल चोरी हो गये थे। ढलगुसिंह को एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि चोरी गये बैलो से मिलते जुलते दो बैल राजू बोदा में बंधे हुए हैं। वह भी बोदा गया था। बोदा में दो बैल बंधे हुए थे। ढलगुसिंह ने दोनों बैलों को पहचान लिया था। गांववालों ने टीकमदास को पकड़कर रखा था। बैल एवं आरोपी को लेकर गांव आये और रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन किया और बताया कि पुलिस ने टिनसाटोला में रघुनाथ पटेल के मकान में उसके सामने पूछताछ की थी और प्रदर्श पी-5 का मेमोरेण्डम बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने टीकमदास से दो बैल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(13) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन

साक्षी खेतूदास (अ.सा.06) का भी कहना है कि टिनसाटोला से धरमसहि गोंड के दो बैल चोरी होने की सूचना मिली थी। और उसे बताया कि आरोपी बैल चोरी करके ले जा रहा है। तो आरोपी और बैलों को रखकर उसने ढलगुसिंह को सूचना दी थी। प्रदर्श पी-6 के पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(14) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी दिलीप (अ.सा.09) का कहना है कि घटना उसके कथन से आठ वर्ष पुरानी है। ढलगुसिंह के दो बैल रात में चोरी हो गये थे। ढलगुसिंह के चोरी गये बैल कुकरा गांव में जंगल सिपाही के घर बांध रखे थे। वहां से बैल लाकर घटना की रिपोर्ट मलाजखण्ड थाने में की थी। आरोपी को पकड़कर लाये थे। किन्तु अभियोजन साक्षी रनमतलाल (अ.सा.07) का कहना है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किन्तु प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ढलगुसिंह ने झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने रंजिश वश झूठे कथन किये हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(16) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(17) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सखाराम (अ.सा.08) का कहना है कि दिनांक 28.02.2004 को ढलगुसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 26/4 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. के अन्तर्गत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया था जो प्रदर्श पी-1 है। ढलगुसिंह की निशादेही पर दिनांक 01.03.2004 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। बैलों को ढलगुसिंह को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया। उक्त सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-3 है। आरोपी टीकमदास से एक बैल सफेद सींग का और एक नीले रंग का जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया था। आरोपी टीकमदास से दिनांक 01.03.2004 को गवाह कपूरचंद और सखाराम के सामने चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने ढलगुसिंह के कोठे के अंदर से दिनांक 29.02.2004 को एक जोड़ी चोरी करने के संबंध में बताया था। उसने मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। आरोपी टीकमदास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 बनाया था। साक्षी ढलगुसिंह, अन्धु, सुखराम, सखाराम, कपूरचंद, दिलीप, खेतूदास के बयान उनके बताये अनुसार लेख किये थे। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सखाराम (अ.सा.08) के कथनों का समर्थन करते हुए फरियादी ढलगुसिंह (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के तीन माह पुरानी टिनसाटोला रात के लगभग 12:00 बजे के बाद की है। उसने रात्रि में उसके कोठे में बैल बांधे थे। सुबह उठकर देखा तो उसका एक लाल रंग का और एक भूरा रंग का बैल नहीं था। कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। बैलों की कीमत 9000/- के आसपास थी। बैलों को उसने आसपास तलाश किया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-1 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी-2 है। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के

कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी अन्धु (अ.सा.02), का भी कहना है कि फरियादी ढलगुसिंह ने उसे बताया था कि उसके एक जोड़ी बैल टिनसाटोला उसके मकान से चोरी हो गये थे। वह बोदा में बस से उतरा तो कोटवार के मकान के पास ढलगुसिंह के बैल उसे दिखाई दिये। बैल ले जाने वाले व्यक्ति से उसने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम टीकमचंद बताया था और बैल मोहगांव बाजार से खरीदकर लाना बताया था। बैल खरीदने की रसीद की मांग की तो उसने रसीद नहीं बताई। उसने ढलगुसिंह को बताया तो उसने उसके बैलों को पहचान लिया था। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते अभियोजन साक्षी सुखराम (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के पांच सात माह पुरानी रात की है। ढलगुसिंह ने उसे बताया था कि रात में उसके बैल चोरी हो गये। उसके बाद में अन्धु से पता चला था कि बोदा के कोटवार के यहां दो बैल बंधे हुए हैं। वस्ती के लोग एवं ढलगुसिंह के साथ वहां जाकर देखा तो बैलों को ढलगुसिंह ने पहचान लिया था। बैलों के पास टीकमदास था। टीकमदास को पकड़कर थाने में लाये थे और रिपोर्ट लिखाई। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(21) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते अभियोजन साक्षी सुखराम (अ.सा.04) का भी कहना है घटना उसके कथन के पांच-सात माह पुरानी है। ढलगुसिंह के कोठे से एक जोड़ी बैल चोरी हो गये थे। बाद में पता चला कि बोदा में कोटवार के यहां दो बैल हैं। जाकर देखा तो कोटवार के यहां दो बैल बंधे थे। बोदा में सुखराम के भंजे को आरोपी मिला था। उसने बताया था कि बैल मण्डई से खरीदकर लाया उसने रसीद मांगी तो उसने रसीद नहीं बताई। तो उसने ढलगुसिंह को सूचना दी थी। टीकमदास को गांव वालों ने पकड़कर रखा था। टीकमदास को लेकर टिनसाटोला आये थे और रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने टीकमदास से दोनों बैल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। ढलगुसिंह को थाने से बैल वापस सुपुर्दगी पर दिये थे। प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(22) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी कपूरचंद (अ.सा.05) का कहना है कि घटना पांच-सात माह पुरानी रात्रि की है। ढलगुसिंह के मकान से दो बैल चोरी हो गये थे। ढलगुसिंह को एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि चोरी गये बैलों से मिलते जुलते दो बैल राजू बोदा में बंधे हुए हैं। वह भी बोदा गया था। बोदा में दो बैल बंधे हुए थे। ढलगुसिंह ने दोनों बैलों को पहचान लिया था। गांववालों ने टीकमदास को पकड़कर रखा था। बैल एवं आरोपी को लेकर गांव आये और रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन किया और बताया कि पुलिस ने टिनसाटोला में रघुनाथ पटेल के मकान में उसके सामने पूछताछ की थी और प्रदर्श पी-5 का मेमोरेण्डम बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने टीकमदास से दो बैल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर

उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(23) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी खेतूदास (अ.सा.06) का भी कहना है कि टिनसाटोला से धरमसहि गोंड के दो बैल चोरी होने की सूचना मिली थी। और उसे बताया कि आरोपी बैल चोरी करके ले जा रहा है। तो आरोपी और बैलों को रखकर उसने ढलगुसिंह को सूचना दी थी। प्रदर्श पी-6 के पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(24) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी दिलीप (अ.सा.09) का कहना है कि घटना उसके कथन से आठ वर्ष पुरानी है। ढलगुसिंह के दो बैल रात में चोरी हो गये थे। ढलगुसिंह के चोरी गये बैल कुकरा गांव में जंगल सिपाही के घर बांध रखे थे। वहां से बैल लाकर घटना की रिपोर्ट मलाजखण्ड थाने में की थी। आरोपी को पकड़कर लाये थे। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये। किन्तु अभियोजन साक्षी रनमतलाल (अ.सा.07) का कहना है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किन्तु प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर है।

(25) अभियोजन साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्षी ढलगुसिंह (अ.सा.01), अन्धु (अ.सा.02), सुखराम (अ.सा.03), सखराम (अ.सा.04), कपूरचंद (अ.सा.05), खेतूदास (अ.सा.06), दिलीप (अ.सा.09) के कथनों एवं विवेचनाकर्ता के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया, जिससे इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद कहा जाये। मात्र अभियोजन साक्षी रनमतलाल (अ.सा.07) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। किन्तु प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि ढलगुसिंह ने झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने झूठे कथन किये हैं। किन्तु इस संबंध में आरोपी के अधिवक्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि आरोपी के विरुद्ध फरियादी ढलगुसिंह ने झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर साक्षियों ने झूठे कथन किये हैं।

(26) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी टीकमदास ने दिनांक 26-27/02/04 को रात्रि के 11:00 बजे से लेकर प्रातः के 05:00 बजे के मध्य, ग्राम टिनसाटोला थाना मलाजखण्ड प्रार्थी ढलगुसिंह के आधिपत्य का कोठा जो कि मावेशी की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में सूर्यास्त-सूर्योदय के पूर्व अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न कारित किया व फरियादी ढलगुसिंह के आधिपत्य के कौठे के अंदर से बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से उसके आधिपत्य के एक लाल रंग एवं एक सफेद रंग के बैल कीमती 9000/- को हटाकर चोरी कारित की।

(27) परिणाम स्वरूप आरोपी टीकमदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380, 457 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(28) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(29) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(30) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी टीकमदास एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(31) आरोपी टीकमदास के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी टीकमदास का यह प्रथम अपराध है। आरोपी टीकमदास की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी टीकमदास मजदूर पेशा व्यक्ति है। यदि उसे कारावास से दण्डित किया जाता है तो उसको काफी कठनाईयों को सामना करना पड़ेगा तथा उसका परिवार भूखे मर जायेगा। अतः आरोपी टीकमदास को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(32) आरोपी टीकमदास के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(33) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(34) आरोपी टीकमदास की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी टीकमदास ने दिनांक 26-27/02/04 को रात्रि के 11:00 बजे से लेकर प्रातः के 05:00 बजे के मध्य, ग्राम टिनसाटोला थाना मलाजखण्ड प्रार्थी ढलगुसिंह के आधिपत्य का कोठा जो कि मावेशी की अभिरक्षा के उपयोग में आता है में सूर्यास्त-सूर्योदय के पूर्व अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न कारित किया व फरियादी ढलगुसिंह के आधिपत्य के कौठे के अंदर से बेईमानीपूर्वक सदोष प्राप्त करने के आशय से उसके आधिपत्य के एक लाल रंग एवं एक सफेद रंग के बैल कीमती 9000/- को हटाकर चोरी कारित की। आरोपी टीकमदास द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी टीकमदास को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी टीकमदास द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी टीकमदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500/- रुपये (अक्षरी रुपये पांच सौ) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500/- रुपये (अक्षरी रुपये पांच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी टीकमदास को दी गई भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 में एक वर्ष की सजा

सजा साथ-साथ भुगताई जावे। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी टीकमदास को एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(35) आरोपी टीकमदास द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि दिनांक 02.03.2004 से 30.07.2004 एवं दिनांक 08.07.2013 से 24.07.2013 को आरोपी टीकमदास को दी गई एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा में मुजरा की जावे एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(36) प्रकरण में जप्तशुदा बैल सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(37) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)